



फोन-2286710
2286709

राज्य नगरीय विकास अभियान

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

website-www.sudaup.org

e-mail:-pmusuda@gmail.com

पत्रांक— ५२११/२४१/NULM/तीन/2001(SUSV TRG.)

दिनांक— ३०/१/१५

सेवा में,

निदेशक,

क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, (आर०सी०य०ई०एस०) लखनऊ,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

विषय— राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन०य०एल०एम०) के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु कार्य-योजना एवं दिशानिर्देश।

महोदय,

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत एक घटक के रूप में शहरी पथ विक्रेताओं को सम्मानपूर्ण जीवनयापन एवं आजीविका की सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना आरम्भ की गयी है। योजनानात्मक शहरी पथ विक्रेताओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा उनके अधिकार, उत्तरदायित्व, शहरी पथ विक्रेताओं हेतु नीति एवं अधिनियम, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, कूड़ा निस्तारण एवं प्रबंधन व्यवस्था, वित्तीय समावेश, समाजिक सुरक्षा संबंधित योजनाएं एवं अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए गतिशील जागरूक एवं संवेदित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शहरी पथ विक्रेताओं को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (आर०सी०य०ई०एस०) लखनऊ के पत्र संख्या—यूआरसी/३०८/२४/२०१४-१५, दिनांक २०.१०.२०१४ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत राज्य नगरीय विकास अभियान, उ०प्र० के कार्यालय ज्ञाप संख्या—२८२/२४१/एन०य०एल०एम०/तीन/२०१४(SUSV TRG), दिनांक १७.११.२०१४ द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को गुणवत्तापरक प्रशिक्षण देने एवं क्षमता संवर्द्धन हेतु क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ को रिसोर्स सेंटर नामित किया गया है।

शहरी पथ विक्रेताओं की क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी :-

१. प्रशिक्षण माड्यूल एवं प्रशिक्षण कार्य सूची तैयार करना -

- १.१ शहरी पथ विक्रेताओं की क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किया जायेगा जोकि हिन्दी भाषा (रथानीय एवं बोल-चाल की व्यवहारिक भाषा) में सचित्र विभिन्न गतिविधियों आधारित होगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल में शहरी पथ विक्रेताओं की अवधारणा, शहर की अनौपचारिक अर्थ व्यवस्था में भूमिका, शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकार और उत्तरदायित्व, पथ विक्रेता (आजीविका का सरकार और पथ विक्रेता का विनयन) अधिनियम 2014 की विस्तृत विवरण, प्रदेश सरकार द्वारा तैयार/जारी किये गये प्रावधानों/नियमावली आदि, फूड भारतीय खाद्य सरकार एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार के Food Safety & Standard Regulation 2011 को प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए उक्त रेगुलेशन के रांदर्भ में स्वच्छता/साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा बनाये रखना, फेरी/दुकान/स्टाल/ठेले आदि का रख-रखाव, कूड़ा निरतारण, एन०य०एल०एम० के अन्य सभी घटकों एवं उससे लाभान्वित होने के तरीकों का विवरण, वित्तीय समावेश, समाजिक सुरक्षा आधारित विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं लिंकेज की प्रक्रिया एवं आधार का स्पष्ट उल्लेख होगा। उक्त के साथ ही साथ प्रशिक्षण माड्यूल में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, पथ विक्रेताओं के व्यवस्थागत दैनिक समस्याओं के समाधान हेतु अन्य विभागों—यातायात पुलिस, रथानीय पुलिस, नगर निकाय आदि से समन्वय से संबंधित जानकारी होगी। इस प्रशिक्षण माड्यूल को एस०य०एल०एम०/सूडा, उ०प्र० को उपलब्ध कराते हुए उसका अनुमोदन प्राप्त किया जाना

पृष्ठ संख्या १

अपरिहार्य होगा साथ ही साथ फीडबैक प्रारूप तैयार कर भी उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल को विकसित करने में नगर निकाय एवं पथ विक्रेता संघों से समन्वय कर व्यवहारिक माड्यूल तैयार किया जायेगा।

- 1.2 उक्त विषयों पर आधारित प्रशिक्षण कार्य सूची (प्रोग्राम कापी) तैयार की जायेगी, जिसमें दैनिक प्रशिक्षण कार्यों का समयबद्ध विवरण होगा।

2. प्रशिक्षण प्रदान करने की रणनीति –

- 2.1 प्रशिक्षण कार्यक्रम सहभागी पद्धति पर आधारित होगा। प्रशिक्षण में समूह में चर्चा और वार्ता आधारित गतिविधियों की जायेगी। यह चर्चा/वार्ता रस्थानीय भाषा एवं बोलचाल आधारित होगी।

- 2.1 शहरी पथ विक्रेताओं में अधिकांशतः पथ विक्रता खाद्य पदार्थों (फूड एंड वेजिटेबल) की बिक्री के कार्यों में तथा कतिपय पथ विक्रेता अन्य कार्यों में संलग्न होते हैं। इसलिए उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन दो अलग—अलग समूहों में निमानुसार आयोजित किया जायेगा :

- 2.1.1 प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम – फूड एंड वेजिटेबल आधारित कार्यों में लगे पथ विक्रेताओं हेतु,

- 2.1.2 द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम – अन्य राष्ट्रीय प्रकार के पथ विक्रताओं हेतु।

3. प्रशिक्षणार्थियों को गतिशील करना –

सर्वेक्षित/पंजीकृत शहरी पथ विक्रेताओं की सूची संबंधित नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन ईकाई (सी०एम०एम०य००) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण हेतु शहरी पथ विक्रेताओं को गतिशील करने का दायित्व रिसोर्स सेन्टर का होगा। इस कार्य को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन ईकाई के सहायोग से किया जायेगा।

4. प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन –

शहरी पथ विक्रेताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम जोनवार/वार्डवार आयोजित किया जायेगा, जिसमें रस्थानीय आवश्यकतानुसार केन्द्रों का निर्धारण किया जा सकता है। जोनवार/वार्डवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु नगर निकाय/खूड़ा के द्वारा स्थापित/संचालित सामुदायिक केन्द्रों का भी उपयोग किया जा सकता है।

5. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि, समय एवं प्रशिक्षणार्थियों की संख्या –

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम गैर आवासीय दो दिवसीय होगा और प्रातः 10:00 बजे से लेकर सायं 05:00 बजे तक प्रशिक्षण का समय होगा। प्रत्येक प्रशिक्षण बैच/समूह में औसतन 40 प्रशिक्षणार्थी होंगे।

6. प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्रशिक्षण/शैक्षिक सामग्री –

- 6.1 शहरी पथ विक्रेताओं को प्रशिक्षण माड्यूल के साथ-साथ केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की योजनाओं के ब्राउचर/पम्पलेट/सूचनायें आदि भी प्राप्त कर/तैयार कर उपलब्ध कराई जायेगी ताकि योजनाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित हो सके।

- 6.2 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न योजनाओं के पम्पलेट, प्रशिक्षण माड्यूल, पेन, राइटिंग पैड एवं फोल्डर आदि उपलब्ध कराया जायेगा।

7. प्रशिक्षण व्यवस्था –

- 7.1 प्रशिक्षण केन्द्र/रथान पर प्रशिक्षण से संबंधित बैनर लगाया जायेगा एवं प्रशिक्षण के दौरान फोटो भी ली जायेगी और प्रशिक्षण कार्यक्रम की विडियोग्राफी भी की जायेगी।
- 7.2 प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिदिन दो समय की चाय और दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।
- 7.3 प्रशिक्षण हेतु आवश्यक उपकरणों के साथ ही मेज-कुर्सी, माईक सिस्टम, पंखे, उपयुक्त रोशनी व्यवस्था, शौचालय एवं जनरेटर आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- 7.4 सभी प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण कार्यक्रमवार उनके नाम, पता, मोबाइल नं० एवं फोटो लगी सूची तैयार करा कर सॉफ्ट कापी में उपलब्ध कराई जायेगी, जिसको एस0यू०एल०एग० / सूडा, उ०प्र० की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

8. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की लागत –

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दो दिवसीय होगा एवं योजना के दिशानिर्देश के अनुसार प्रतिदिन प्रति शहरी पथ विक्रेता/प्रशिक्षणार्थी ₹750/- देय होगा तथा उक्त ₹750/- में ही प्रशिक्षण हेतु सभी व्यय, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को देय दैनिक भत्ता भी समिलित है।

9. प्रशिक्षणार्थियों को दैनिक भत्ता –

- 9.1 प्रशिक्षण दिवसों में शहरी पथ विक्रेताओं को प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन के आधार पर दैनिक भत्ता दिया जायेगा ताकि उनकी दैनिक आजीविका हानि की प्रतिपूर्ति हो सके।
- 9.2 शहरी पथ विक्रेताओं को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु नागित रिसार्स सेन्टर क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (आर०री०य०ई०एस०) लखनऊ के पत्र संख्या-यूआरसी/308/ 24/2014-15, दिनांक 20.10.2014 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में उल्लिखित दैनिक भत्ता प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी ₹200/- होगा। प्रशिक्षणार्थियों को दैनिक भत्ता प्रदान किये जाने की रसीद प्रशिक्षण रिपोर्ट में अवश्यक रूप से संलग्न की जायेगी।

10. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

- 10.1 गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा और प्रशिक्षण प्रदाताओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने हेतु नियमित रूप से अपेक्षित आवश्यक सहयोग एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सुझाव प्रदान किये जायेंगे।
- 10.2 प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम दिवस समाप्ति पर प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का फीडबैक निर्धारित प्रारूप पर लिया जायेगा, जोकि अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण रिपोर्ट का भाग होगा। प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु प्राप्त फीडबैक के आधार पर आगे के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार एवं संशोधन किया जायेगा।

11. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रिपोर्ट –

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरान्त प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण फोटो सहित समिलित होगा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की विडियोग्राफी सी०डी० में उपलब्ध कराई जायेगी। इस प्रशिक्षण रिपोर्ट में प्रशिक्षणार्थियों के

नाम एवं पता सहित सूची, प्रोग्राम कार्यक्रम की समाप्ति के अन्दर संबंधित नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन ईकाई को प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट के साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु व्यय लागत को प्राप्त करने के लिए इनवाईस/बिल प्रस्तुत किया जायेगा। जिसका नियमानुसार संबंधित नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन ईकाई द्वारा भुगतान किया जायेगा। संबंधित नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन ईकाई द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट की एक प्रति अपनी संस्तुतियों के साथ राज्य मिशन प्रबन्धन ईकाई (एस०एम०एम०य०), उ०प्र०/सूडा उ०प्र० को उपलब्ध करायेगी।

12. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भुगतान –

रिसोर्स सेन्टर द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर संबंधित नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन ईकाई को प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट के साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु व्यय लागत को प्राप्त करने के लिए इनवाईस/बिल प्रस्तुत किया जायेगा। जिसका नियमानुसार संबंधित नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन ईकाई द्वारा भुगतान किया जायेगा। संबंधित नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन ईकाई (एस०एम०एम०य०), उ०प्र०/सूडा उ०प्र० को उपलब्ध करायेगी।

उपरोक्तानुसार शहरी पथ विक्रेताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(श्रीप्रकाश सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, नगर विकास, उ०प्र० शासन।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
3. निदेशक, रथानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
6. समस्त सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, एन०य०एल०एम शहर, उ०प्र०।
7. समस्त अधिशारी अधिकारी, एन०य०एल०एम शहर, उ०प्र०।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।
9. सहाय वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

३१/०१/२०१५
(श्रीप्रकाश सिंह)
मिशन निदेशक